



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध ज़मानत अर्जी संख्या - 42678 वर्ष 2025

राहुल सिंह

....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी पक्ष(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता	:	प्रदीप कुमार श्रीवास्तव, वरिष्ठ अधिवक्ता
विपक्षी पक्ष(गण) के अधिवक्ता	:	जी.ए.

न्यायालय कक्ष संख्या - 68

माननीय न्यायमूर्ति श्री आशुतोष श्रीवास्तव

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री प्रदीप कुमार श्रीवास्तव, राज्य-प्रतिवादियों की ओर से विद्वान एजी ए श्री अरिमर्दन यादव को सुना गया, और अभिलेख का अवलोकन किया गया।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के तहत यह ज़मानत अर्जी, अभियुक्त-आवेदक राहुल सिंह की ओर से दायर की गई है, जिसमें केस क्राइम संख्या 340, 2025 में ज़मानत पर रिहाई की मांग की गई है। यह मामला एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8/20/29/60 के तहत, पुलिस थाना बदलापुर, जिला जौनपुर में दर्ज है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अभियुक्त-आवेदक निर्दोष है। उसे इस केस क्राइम संख्या में झूठा फंसाया गया है और वह 21.08.2025 से जेल में बंद है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि समान परिस्थितियों वाले सह-अभियुक्त शनि सिंह उर्फ सन्नी को इस न्यायालय द्वारा आपराधिक विविध ज़मानत अर्जी संख्या 31028, 2025 में दिनांक 02.12.2025 को पहले ही ज़मानत पर रिहा किया जा चुका है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और ज़मानत पर रिहा होने की स्थिति में उसके न्याय की प्रक्रिया से भागने या साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है। अतः, ज़मानत दिए जाने का अनुरोध किया गया है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



इसके विपरीत, विद्वान एजीए ने आवेदक की ज़मानत की मांग का विरोध किया, किंतु वे उपर्युक्त तथ्य का खंडन नहीं कर सके। ऊपर बताए गए सभी तथ्यों और परिस्थितियों, आरोपों की प्रकृति,

दोषसिद्धि होने पर सज़ा की गंभीरता और सहायक सबूतों की प्रकृति, गवाहों के साथ छेड़छाड़ की उचित आशंका और प्रथम दृष्टया मामले को ध्यान में रखते हुए—लेकिन मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी किए बिना—ज़मानत का एक मामला बनता है।

अतः, ज़मानत याचिका **स्वीकार** की जाती है।

ऊपर बताए गए केस क्राइम नंबर में शामिल आरोपी-आवेदक को ज़मानत पर रिहा किया जाए; इसके लिए उसे संबंधित अदालत की संतुष्टि के अनुसार, उतनी ही राशि का एक निजी मुचलका और दो विश्वसनीय ज़मानतदार पेश करने होंगे, जो निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा:

1. आवेदक सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
2. आवेदक किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा।
3. आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा/उन्हें डराएगा-धमकाएगा नहीं और मुकदमे में सहयोग करेगा।
4. आवेदक ट्रायल कोर्ट द्वारा तय की गई हर तारीख पर नियमित रूप से पेश होगा, जब तक कि संबंधित अदालत द्वारा उसके वकील के माध्यम से उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति को छूट न दे दी जाए। ऊपर बताई गई किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर, निचली अदालत को उसकी ज़मानत रद्द करने की कार्रवाई करने की स्वतंत्रता होगी।

14 जनवरी, 2026

न्यायमूर्ति श्री आशुतोष श्रीवास्तव

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।